प्रोजेक्ट उदय

(म.प्र. नगरीय जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय सुधार परियोजना)

संक्षिप्त परिचय

- **पृष्ठ भूमि**

  मध्यप्रदेश के इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर नगरों की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने, ठोस कचरे व मल-जल के निष्पादन को सुरक्षित ढ़ंग से निपटारा करने और नगरीय पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में **"मध्यप्रदेश नगरीय जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय सुधार"** नामक परियोजना एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के वित्तीय सहयोग से संचालित की गई है।

- **लक्ष्य**

  मध्यप्रदेश के चारों बड़े नगर निगमों (भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इन्दौर) में आर्थिक संसाधनों का विकास कर गरीबी में कमी लाना।

- **उद्देश्य**

  - परियोजना के चारों नगरों में आधारभूत नगरीय अधोसंरचना एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  - नगरीय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावी, पारदर्शी एवं स्थाई रूप से नियोजित एवं प्रबंधित करने हेतु नगरों की क्षमता वृद्धि।

- **घटक**

  - **सुरक्षित पेयजल आपूर्ति**

    नगरों में बढ़ती आबादी, नये आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों के परिणामस्वरूप बढ़ती पेयजल मांग को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित, पर्याप्त एवं उपयुक्त दबाव से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु विभिन्न योजनाएं नगरों की आवश्यक्तानुसार बनाई गई हैं।

  - **ठोस कचरा संग्रहण एवं निष्पादन**

    नगरों के चहुंमुखी विकास, खान-पान में आए बदलाव और व्यावसायिक गतिविधियों में बढ़ोत्तरी होने से नगरों में ठोस कचरे की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। अतः इसका सुरक्षित एवं वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन करना आवश्यक है। अन्यथा नगरों में महामारियां फैलने

के साथ–साथ पर्यावरण, स्वच्छता एवं नगरीय सुन्दरता में भी कमी आ जायेगी। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक बहु आकांक्षी योजना बनाई गई है।

- **वर्षा जल का निस्तारण**

नगरों में विभिन्न प्रकार के निर्माणों से वर्षा जल की निकासी में भी अवरोध पैदा हो गये हैं। इससे नगर की नालियों एवं नालों में वर्षा के दौरान बाढ़ आने का खतरा पैदा हो गया है। अतः नगरों में वर्षा जल के सुरक्षित निस्तारण करने की विस्तृत योजनाएं बनाई गई हैं, ताकि इन संभावित खतरों से छुटकारा पाया जा सके।

- **मल–जल निस्तारण (सीवरेज)**

इन चारों नगरों में मल–जल का निस्तारण एवं इसका उपचार एक ज्वलंत समस्या है। अधिकांश शौचालयों से निकलने वाली नालियों को या तो नगरों की नालियों, नालों में खुला छोड़ दिया गया है या सैप्टिक टैंक से जोड़ दिया है। किंतु इससे निकलने वाले दूषित जल के सुरक्षित निष्पादन हेतु कोई व्यवस्था नहीं हैं। अतः ये दोनों तरीके असुरक्षित हैं और साथ ही पेयजल को भी दूषित कर रहे हैं। इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए परियोजना के अंतर्गत नगरों में सीवर नेट वर्क तैयार किया जाएगा और नगरों का संपूर्ण मल–जल, निर्धारित मल–जल शोधक संयंत्रों में शुद्ध किया जावेगा।

- **स्वच्छता**

नगरों में पर्यावरण स्वच्छता को बनाए रखने में सबसे बड़ी समस्या खुले में शौच करना है। नगरों में कच्ची बस्तियों के बसने से यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः इस समस्या से निजात पाने के लिए नगरों में आवश्यकतानुसार सामुदायिक शौचालय एवं स्नान घर बनाए जायेंगे। यह शौचालय इकाइयां सुव्यवस्थित रहें, इसके लिए भी एक व्यवहारिक एवं उपयोगी नीति बनाई जा रही है ताकि वाजिब व्यय से इनको स्वच्छ, सुंदर एवं उपयोगी बनाए रखा जा सके।

- **सामुदायिक जागरूकता से सहभागिता**

परियोजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की सफलता, सक्रियता एवं उपयोगिता केवल सही तकनीक, संरचना और रखरखाव पर ही निर्भर नहीं करती है, अपितु इस बात पर भी निर्भर है कि उपभोक्ता (समुदाय) कितनी सहभागिता निभाता है। अतः परियोजना के विभिन्न कार्यों में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने, कार्यक्रमों की जानकारी

पहुंचाने, लोगों में स्वच्छता के महत्व एवं स्वच्छता संबंधी आदतों को अपनाने हेतु प्रेरित करने के लिए विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं संचार संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा।

- **संस्थागत विकास**

  परियोजना में कार्य करने वाले विभागों के अधिकारियों में दक्षता, कार्यकुशलता एवं क्षमता विकास करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षणों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन विभागों में संसाधन विकास एवं आधारभूत ढ़ांचे में विकास करने के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ विभागों को तकनीकी एवं शैक्षणिक सहायता उपलब्ध करवाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संबंधित संस्थाओं से भी सहायता लेने हेतु प्रावधान किए गए हैं।

- **परियोजना नगर**

  भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर

- **जवाबदेही विभाग**
  - परियोजना प्रबंधन इकाई
  - परियोजना क्रियान्वयन इकाई
  - नगर पालिक निगम – भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर

- **वित्तीय प्रावधान (करोड़ में)**

जलापूर्ति	–	845.00
ठोस कचरा प्रबंधन	–	043.00
अनुपयोगी एवं वर्षा जल निस्तारण मल–जल निस्तारण (सीवरेज)	–	366.00
सामुदायिक विकास	–	038.00
क्रियान्वयन सहयोग	–	074.00
कुल	–	**1366.00**

परियोजना तन्त्र एवं रूपरेखा

राज्यस्तर पर परियोजना के नीति निर्माण हेतु साधिकार समिति कार्यरत है जो हेतु इस परियोजना की सर्वोच्च अधिकार प्राप्त समिति है। यह समिति प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है। समिति बैठकें आयोजित कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्णय लेती हैं।

परियोजना नगर स्तर पर सिटी स्टीयरिंग समिति कार्यरत है। यह परियोजना नगरों में नगर स्तर की एक ऐसी इकाई है जहाँ परियोजना की गतिविधियों की प्राथमिक डिजाईन से लेकर इसके क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के समाधान के रास्ते तलाशने तक सभी प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं । परियोजना के अंतर्गत किन कार्यों को करना चाहिए एवं किस प्रकार करना चाहिए ताकि बाधायें कम आयें व आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, यह सारी प्रक्रिया यह समिति तय करती है। इसकी अध्यक्षता संभागीय आयुक्त करते हैं तथा जिले के जिलाधिकारी समेत माननीय मेयर तथा गणमान्य नागरिक इस समिति में शामिल हैं।

राज्यस्तर पर ही कुछ दक्ष, सक्षम एवं अनुभवी विशेषज्ञों का समूह है जो परियोजना के अंतर्गत नगरवासियों एवं नगरों के लिए किए जाने वाले कार्यों से वांछित लाभ हुए या नहीं, का मूल्यांकन करता है। यह विशेषज्ञ लाभ अनुश्रवण मूल्यांकन सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं।

जन संपर्क सलाहकार भी इस परियोजना की महत्वपूर्ण कड़ी है। इनका मुख्य कार्य परियोजना शहरों में क्रियान्वित होने वाली विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना और नागरिकों की परियोजना में सक्रिय एवं सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह विभिन्न सूचना, शिक्षण एवं संप्रेषण गतिविधियों के माध्यमों से परियोजना की महत्वता, उपयोगिता एवं व्यावहारिकता की जानकारी नागरिकों को उपलब्ध करवायेंगे। परियोजना क्रियान्वयन के दौरान नागरिकों को होने वाली कठिनाईयों से भी यह अवगत करवायेंगे ताकि तात्कालिक समाधान ढूंढ़े जा सके। संक्षिप्त में जन संपर्क सलाहकार नागरिकों के लिए सेतु का कार्य करेंगे।

मध्यप्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में शहरों की आवश्यकता अनुसार मानव मल, कचरे व गंदे पानी के सुरक्षित निस्तारण हेतु लगाए जाने वाले सभी संयंत्र तकनीकी दृष्टि से विश्वस्तरीय होंगे। इन संयंत्रों की डिजाइन एवं संरचना अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियर्स एवं सलाहकारों के सहयोग से तैयार की गई है। ये सभी संयंत्र आगामी 20–25 वर्षों की संभावित आवश्यकता की गणना करके ही तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही इसमें इस बात की भी गुंजाईश रखी गई है कि इनमें आवश्यकता एवं समयानुसार फेरबदल किए जा सकते हैं।

ताल–तालाबों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु नगरों में निम्नलिखित प्रयास जन सहयोग से प्रस्तावित हैं :

- अतिक्रमणों को हटाना।
- मानव मल व गंदे पानी को ताल–तालाबों में नहीं पहुंचे ऐसे उपाय करना।
- वर्षा जल ले जाने वाली नालियों एवं नालों में अतिक्रमण से बचाव और कूड़ा–करकट या मलवा न डालने दें ताकि वर्षा जल बिना किसी रूकावट के जा सके।
- ताल–तालाबों पर आम जनता के नहाने–धोने एवं कचरा डालने पर पाबंदी लगाना।
- ताल–तालाबों में भरी मिट्टी, कूड़ा–करकट इत्यादि वर्षा से पूर्व साफ कराना।
- ताल–तालाबों की पाल को दुरूस्त रखा जावे ताकि भरे हुए पानी का रिसाव न हो।
- ताल–तालाबों के पानी के उपयोग (पेयजल, सफाई, बगीचों की सिंचाई इत्यादि) को भी भराव के अनुसार सुनिश्चित करना।

नगर निगमों के महापौर, पार्षदों, अधिकारियों व मध्यप्रदेश नगरीय (एडीबी) परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े कर्मियों की प्रशासनिक, तकनीकी एवं परियोजना क्रियान्वयन की दक्षता विकास के लिए हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज ऑफ इण्डिया (आस्की) द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। इन प्रशिक्षणों का वित्तीय खर्च यूएन–हेबीटेट द्वारा वहन किया जाता है। यह प्रशिक्षण पांच दिवसीय होते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य परियोजना के अंतर्गत होने वाले कार्यों के क्रियान्वन उपरांत उचित संधारण हेतु क्षमता विकास तथा देश के विभिन्न भागों में किए गए उत्तम प्रयोगों के संबंध में जानकारी प्रदान करना है।

परियोजना में समुदाय अपनी प्रतिक्रियाएं परियोजना के समाचार पत्र, सामुदायिक बैठकों, गोष्ठियों, चर्चाओं आदि के माध्यम से व्यक्त कर सकता है। दूसरे, इस परियोजना की परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों के स्तर पर जन प्रतिनिधियों से विचार–विमर्श की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस योजना के नगर स्तरीय निर्णय अंततः नगर निगम में स्वीकृति के लिए जाते हैं, जहाँ माननीय पार्षदों के माध्यम से सभी की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है। वार्ड/मोहल्ला स्तर पर समय–समय पर बैठकें भी इस हेतु उपयुक्त मंच हैं। शिकायतों के निराकरण हेतु परियोजना प्रबंधन इकाई स्तर पर उप–परियोजना संचालक की अध्यक्षता में जन शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। साथ ही परियोजना क्रियान्वयन इकाई के स्तर पर भी जन शिकायत प्रकोष्ठ गठित किए गए हैं। जिसके अध्यक्ष आयुक्त, नगर निगम/अपर आयुक्त/उपायुक्त प्रभारी, एडीबी परियोजना हैं।

परियोजना को व्यवस्थित रूप से चलाने हेतु नगरों में परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना की गई है। यह इकाई परियोजना संचालक के निर्देशन में परियोजना के अंतर्गत होने वाले सभी कार्यों को व्यवस्थित एवं समयानुसार संपन्न करवाने के लिए उत्तरदायी है।

शहर में आधारभूत सुविधाओं जैसे – जल आपूर्ति, मल–जल का निकास एवं ठोस कचरे का प्रबंधन करना ही संसाधनों का विकास है। निम्न कार्य इस परियोजना के अंतर्गत शहरों में करवाये जायेंगे :

1. सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना (135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन)
2. ठोस कचरे का सुरक्षित निष्पादन
3. मल–जल का निस्तारण (सीवरेज लाइन)
4. सामुदायिक शौचालय (खुले शौचमुक्त नगर की स्थापना)
5. नगर पालिक निगम के अंतर्गत विभागों को सुदृढ़ बनाना (आधुनिक उपकरणों एवं प्रशिक्षणों के माध्यम से)

स्वाभाविक है कि नगर निगमों को नगर में जल आपूर्ति, कचरा प्रबंधन एवं मल–जल निकासी सुदृढ़ करने हेतु अधिक राशि खर्च करनी पड़ती है। अतः जनता की आम राय से इसमें आवश्यक वृद्धि की जाएगी। जिससे आय एवं व्यय का संतुलन बना रहेगा। आय कम होने से सुविधाओं में कमी आना स्वाभाविक है। नगर निगमों में वित्तीय सुधार एवं स्वपोषित के प्रयास कर ऋण चुकाया जाएगा।

नगर में सीवरेज लाइन डालने के बाद सभी घरों एवं व्यावसायिक संगठनों को सीवरेज से जुड़ना अनिवार्य होगा। क्योंकि वर्तमान में कार्यरत् सैप्टिक टैंक या अन्य शौचालय नगर के पर्यावरण एवं भूमिगत जल को दूषित कर रहे हैं। जिससे जल जनित रोगों में अपेक्षा से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए परियोजना के अंतर्गत सीवरेज लाइन डालने का प्रावधान किया गया है। अतः नागरिकों को नियमानुसार कनेक्शन चार्ज देकर सीवर लाइन से जोड़ना अनिवार्य होगा।

नगर में मल–जल एवं अनुपयोगी पानी के निष्कासन हेतु विस्तृत योजनाएं बनाई गई हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन होने के बाद शहर से निकलने वाला मल–जल सीवर पाइप के द्वारा शहर के बाहर स्थित मल–जल शोधक संयंत्रों में पहुंचाया जाएगा जहां इसको साफ करके अन्य कार्यों के उपयोग में लाया जाएगा। इससे तालाबों में जाने वाली गंदगी से छुटकारा मिलेगा।

परियोजना प्रगति एक दृष्टि में (19 अप्रैल 2007 तक)

नगर	कुल पैकेज	संकल्पना तैयार	तकनीकी निष्पादन समिति (TCC) द्वारा स्वीकृति	विस्तृत डिजाईन एवं निविदा प्रपत्र तैयार	निविदा आमंत्रण	निविदा प्राप्त	कार्यादेश जारी
भोपाल	26	23	20	21	19	18	9
ग्वालियर	21	18	13	13	11	11	8
इन्दौर	28	25	25	25	23	23	12
जबलपुर	25	23	22	23	16	14	5
कुल	100	89	80	82	69	66	34